न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/298
दायरा तिथि : 14.08.2024
आदेश तिथि : 14-05-2025

प्रार्थी :–

श्री राज राजेन्द्र बंसतीदेवी किशोरमल खीमावत चैरीटेबल ट्रस्ट मुंबई जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री किशोरमल पुत्र वालचंद खीमावत जाति खीमावत जैन, निवासी खीमावत भवन, रानी तहसील रानी

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. कालूराम पुत्र प्रताप
2. घीसी बाई पत्नी प्रताप
3. चतरा पुत्र उम्मेद
4. जगदीश कुमार पुत्र प्रताप
5. जयश्री पुत्री भोमा
6. देवा पुत्र उम्मेद
7. प्रवीणकुमार पुत्र प्रताप
8. बदामीबाई पत्नी भोमा
9. भंवरीदेवी पुत्री प्रताप
10. मंजू पुत्री भोमा
11. राजुराम पुत्र भोमा
12. सुरेश कुमार पुत्र प्रताप जातिगण माली निवासीगण खीमेल तहसील बाली
13. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 14-05-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1497, 1505, 1508 रकबा 3.1600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1506 रकबा 0.3600 हैक्टर एवं राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1502 रकबा 0.7100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/627 दिनांक 03.03.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/298

अनवान राज राजेन्द्र बसंती देवी किशोरमल खीमावत बनाम तहसीलदार बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1502	0.71 हैक्टर	चा.दो. जा.दो.	24X9=216वर्गमीटर	कालूराम पुत्र प्रताप हि. 1/18 वगैरा जातिगण माली सा. देह खातेदार
2	1506	0.36 हैक्टर	बा.दो.	5X9=45 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख मोखमपुरा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरा नंबर 1502 व 1506 की डी.एल.सी. दर 176274/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। अप्रार्थी देवाराम की ओर से वकील श्री अमृत परिहार ने आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुति हेतु अण्डरटेकिंग लिया। वकील अप्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनका जवाब अवसर बंद किया गया। बकाय अप्रार्थीगण बावजदू नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से बकाया अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1497, 1505, 1508 रकबा 3.1600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1497, 1505, 1508 रकबा 3.1600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1502 रकबा 0.71 हैक्टर एवं राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1506 रकबा 0.36 हैक्टर में से **216+45=261 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 176274/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1502	0.71 हैक्टर	24X9=216 वर्गमीटर	18	3888X2=7776	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
1506	0.36 हैक्टर	5X9=45 वर्गमीटर	18	810X2=1620	राजकीय सिवायचक भूमि
		कुल 261 वर्गमीटर		कुल राशि 9396/– रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 9396/– (अक्षरे नौ हजार तीन सौ छियानवे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/298

अनवान राज राजेन्द्र बसंती देवी किशोरमल खीमावत बनाम तहसीलदार बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2025/526-530 दिनांक : 14/05/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 मोखमपुर
3. पटवारी हल्का, खीमेल
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री राज राजेन्द्र बंसतीदेवी किशोरमल खीमावत चैरीटेबल ट्रस्ट मुंबई जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री किशोरमल पुत्र वालचंद खीमावत जाति खीमावत जैन, निवासी खीमावत भवन, रानी तहसील रानी को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

नक्शा किश्तवार मौजा खीमेल

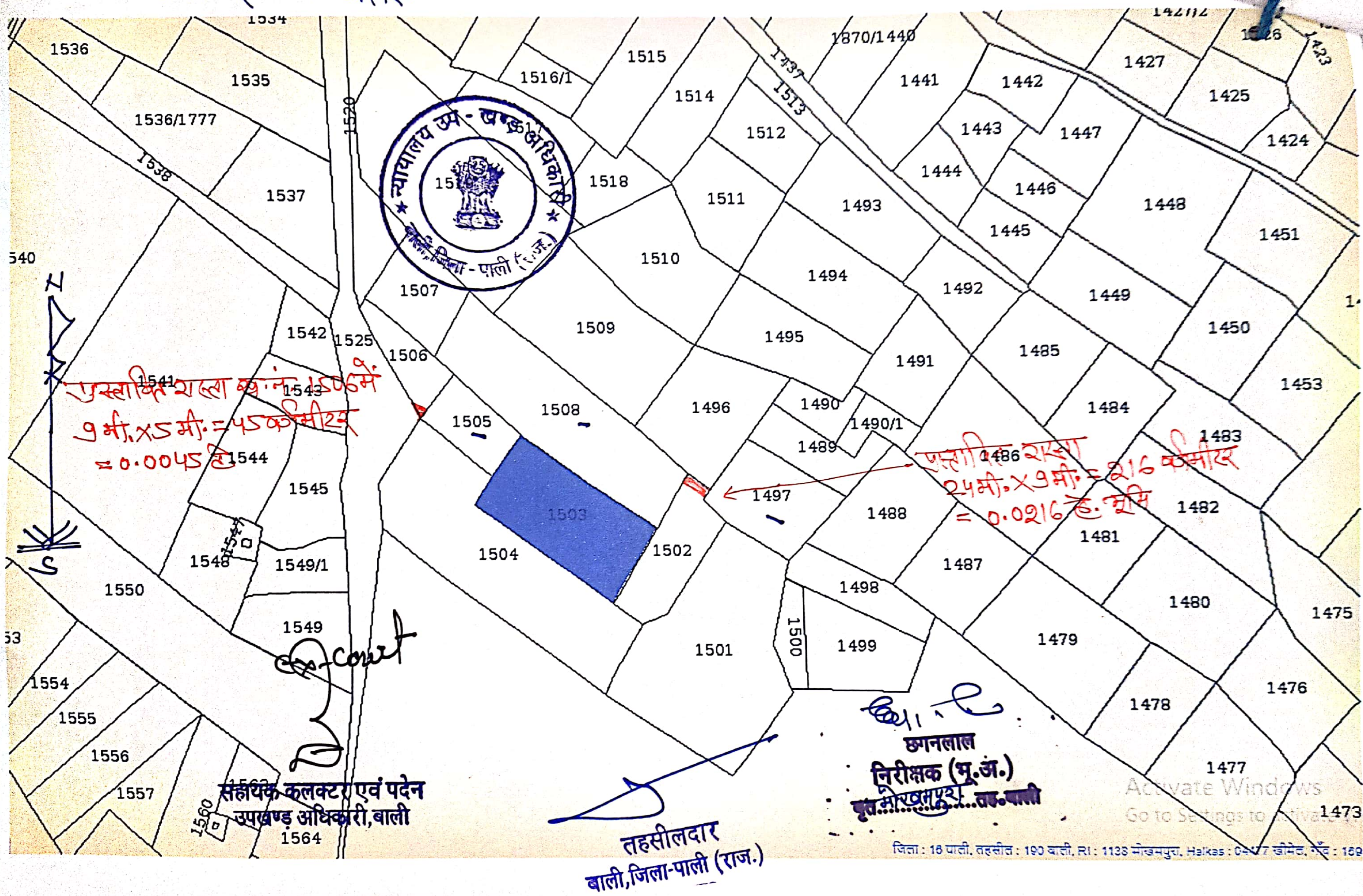

Scanned with CamScanner